राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 24 जनवरी, 1983

क्रमांक **1934-ज(I)-82/2777.**— पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री दलजीत सिंह, पुत्र श्री पृथी सिंह, नदी मोहल्ला, अम्बाला शहर, मारफत 22 शांतिपुरा, जालन्धर, को रबी, 1969 से खरीफ, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1938-ज(I)-82/2837.**—श्री रामानन्द, पुत्र श्री सदासुख, निवासी गुड़गावां, तहसील व जिला गुड़गावां, की दिनांक 30 अगस्त, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामानन्द को मुबलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो 'उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5005-आर-4-67/3455, दिनांक 27 सितम्बर, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुख देई के नाम रबी, 1979 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1988-ज(II)-82/2841.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री गिरधारी लाल, पुत्र श्री किशन लाल, गांव नौसवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

क्रमांक **1401-ज(II)-82/2845**—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1401-ज(II)-82/32987, दिनांक 17 सितम्बर, 1982 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 को प्रकाशित हुई है की चौथी लाईन में "खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक" की बजाए "खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक" पढ़ा जाये।

दिनांक 25 जनवरी, 1983

क्रमांक **1932-ज(I)-82/2856.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री करता राम, पुत्र श्री राम सिंह, गांव रायवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 फरवरी, 1983

क्रमांक **42-ज(II)-83/4259.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरियाव सिंह, पुत्र श्री चन्दगी राम, गांव सेरिया, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।